राजस्थान राज्य का वित्त विभाग

डॉ. भागीरथमल
व्याख्याता – लोकप्रशासन विभाग
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर

सारांश :–

राजस्थान सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली विभागों मे वित्त विभाग का स्थान सम्भवतया सर्वोपरि है। राज्य की कोई भी ऐसी नियामक अथवा वैकासिक प्रक्रिया एवं गतिविधि नहीं है जिस के लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता न हो इन साधनों को सुलभ कराने, किये गये व्यय पर नियंत्रण रखने तथा लेखांकन एवं वैधानिक अंकेक्षण को नियमितता प्रदान करने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग का ही है। समष्टि स्तर पर सम्पूर्ण राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालना एवं संसाधनों एवं व्ययों के बीच संतुलन स्थापित करने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की है।[1]

वित्त विभाग की भूमिका - राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं–

1. **बजट प्रशासन :–** वित्त विभाग राजस्थान सरकार का बजट निर्माण करता हैं, उसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल से प्राप्त कर उसे विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु अंतिम रूप प्रदान करता है। विधानसभा में बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है तथा वहां बहस होने व पारित होने के पश्चात् वित्त विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों को उनसे संबंधित बजट–अंश सूचित करता है। बजट निष्पादन का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभागों का है किन्तु इस निष्पादन पर निरन्तर निगरानी रखने की जिम्मेदारी वित्त विभाग की ही है। बजट प्रशासन से संबंधित मुख्य चरण इस प्रकार हैं–

(1) **पहला चरण –** अगस्त मास के अंतिम सप्ताह तक वित्त विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों को बजट के प्रस्ताव भेजने हेतु प्रपत्र भेजता है।

(2) **दूसरा चरण –** अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक विभिन्न प्रशासनिक विभाग अगले वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय के अनुमान वित्त विभाग को भेज देते हैं।

(3) **तीसरा चरण–** विभिन्न विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों का संकलन वित्त विभाग में किया जाता है तथा नवम्बर एवं जनवरी के बीच बजट 'निर्णायक' समितियों की बैठके आयोजित की जाती है। यह बैठकें राजस्व एवं व्यय दोनों मदों के संबंध में की जाती है। इन बैठकों में संबंधित प्रशासनिक विभागों तथा वित्त विभाग के अधिकारी भाग लेते है। सामान्यतया व्यय प्रस्ताव अधिक महत्वकांक्षी होते है, अतः इन बैठकों में उनकी काट–छांट किया जाना स्वाभाविक ही है।

(4) **चौथा चरण –** फरवरी में वित्त विभाग में सम्पूर्ण अनुमानों का समेकन किया जाता है तथा उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।

(5) **पाँचवाँ चरण –** फरवरी में ही प्रमुख वित्त सचिव का बजट प्रस्तावों से संबंधित "मीमो" मंत्रिमंडल को भेजा जाता है। संक्षिप्त विचार–विमर्श के पश्चात् मंत्रिमंडल इसे स्वीकार कर लेता है।

(6) **छटा चरण-** वित्त मंत्री द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव राज्य विधान सभा में मार्च के आरम्भ में प्रस्तुत किये जाते हैं।

(7) **सातवां चरण–** सामान्यतया मार्च–अप्रैल में ही बजट पर बहस होने के पश्चात् विधानसभा, यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त संशोधनों के साथ पारित कर देती है।

(8) **आठवां चरण –** अप्रैल के आरम्भ में ही पारित बजट के संबंधित अंश तथा स्वीकृतियाँ विभिन्न प्रशासनिक विभागों को भेज दी जाती हैं।

(9) **नवाँ चरण –** विभाग अपने स्तर पर स्वीकृतियां जारी कर बजट का निष्पादन आरम्भ कर देते हैं। वित्त विभाग समय–समय पर इस निष्पादन पर निगरानी रखता रहता है।

2. **व्यय–नियंत्रण :–** जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, वित्त विभाग बजट निर्माण एवं बजट–निष्पादन के दौरान विभिन्न प्रशासनिक विभागों के व्यय पर नियंत्रण रखता है। विशिष्ट सचिव (व्यय) एवं चार वित्त सचिव (व्यय) इस क्षेत्र में निरन्तर विमर्श एवं निगरानी रखते हैं बजट निर्णायक समितियों में हुए निर्णय एवं पारित बजट के अनुसार सभी विभाग पूर्ण वर्ष के दौरान स्वीकृति के अनुसार व्यय करते हैं। हाल ही के वर्षों में व्यय की स्वीकृति के संबंध मे शतियों का प्रचुर प्रत्यायोजन (विकेन्द्रीकरण) हुआ है। "बजट मैन्युअल" के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों को वित्तीय समंजन हेतु भी काफी शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं।

3. मार्गोपाय (वेज एण्ड मीन्स) :– राजस्थान सरकार के दिन प्रतिदिन का वित्तीय – प्रबन्धन एक जटिल प्रक्रिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान सरकार को दिन प्रतिदिन के वित्तीय प्रशासन को चलाने के लिए 100.37 करोड़ रुपया पेशगी दे रखा है। वित्त विभाग का दायित्व है कि वह रिजर्व बैंक के नागपुर कार्यालय को रोज सूचित करे कि उसके आय व व्यय का संतुलन क्या रहा ? यदि 100.37 करोड रूपए से अधिक व्यय हो जाता हैं तो राजस्थान सरकार को रिर्जव बैंक से "ओवरड्राफ्ट" लेना पड़ता है जिसके व्याज का भार सरकार पर पड़ता है। प्रमुख वित्त सचिव विभाग के बजट निदेशक एवं उसके नीचे कार्यरत वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रति कार्य दिवस वित्तीय संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं।

4. राजस्व प्रशासन :– व्यय को उपलब्ध राजस्व की सीमा में रखने की समस्या से तो वित्त विभाग जूझता ही रहता है, किन्तु उसके समक्ष राज्य के वित्तीय साधनो की अभिवृद्धि भी एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। राज्य के राजस्व के दो प्रकार के स्रोत है– एक तो करों से संबंधित तथा दूसरे अन्य स्रोत । करो में वाणिज्य कर, आबकारी, रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प तथा भूमि तथा भवन कर हैं तथा अन्य राजस्य स्रोतों में भू–राजस्व सिंचाई शुल्क तथा जल विभाग, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आदि लोक उपक्रमों से प्राप्त आय का अंश शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में गैर–कर राजस्व स्रोत काफी सीमित रहे। है, अतः अधिक बड़ा योगदान कर स्रोतों का ही है।

वित्त विभाग स्रोतों से प्राप्त राजस्व पर दैनिक निगरानी रखता है। हाल ही में बजट निर्णायक समितियों से राजस्व स्रोतों पर भी विमर्श होने लगा है। कई दशकों तक यह समितियाँ केवल व्यय के प्रस्तावों पर ही विचार करती थी।

5. सेवा एवं वित्त–नियम :– राजस्थान सेवा नियम एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखांकन नियमों का निरूपण, संशोधन, कार्यान्वयन एवं उनकी व्याख्या पर आधारित निर्णय देने का दायित्व वित्त विभाग का ही है। इस हेतु प्रमुख वित्त सचिव की सहायतार्थ दो उपसचिव हैं. एक सेवा नियमों हेतु तथा एक वित्त नियमों हेतु । वित्त विभाग के पास शासकीय विभागों एवं संस्थाओं के इन नियमों की अनुपालन उनसे छूट एवं उनकी व्याख्या के सम्बन्ध में सैकड़ों संदर्भ निरन्तर आते रहते हैं। इन संदर्भों के सम्बन्ध में अपना मत देना वित्त विभाग का ही दायित्व है।

6. केन्द्रीय भंडार एवं क्रय संगठन (CSPO) :– जिन वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता राज्य सरकार के अधिकांश विभागों को पूरे वर्ष रहती है, उनके क्रय हेतू बार–बार टेन्डर मंगाने में लगने वाले समय एवं लागत को कम करने हेतु वित्त विभाग इन वस्तुओं व सेवाओं के लिए प्रमुख उत्पदकों एवं अभिकर्ताओं, विक्रेताओं आदि से दरें "रेट कांट्रेक्ट पर नियत कर लेता है। इन दरों पर सभी विभाग बिना टेन्डर बुलाये इन वस्तुओं के क्रय एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य वस्तुओं जो किन्ही विशिष्ट विभागो की ही मांग है, उन का भी "रेट कान्ट्रेक्ट" ये विभाग नियमानुसार अपने स्तर पर कर सकते हैं।

7. लोक–निवेश :– राजस्थान सरकार कई लोक उपक्रमों की पूँजी की अशंधारी है। अंशधारी बनना एवं संस्थाओ से प्राप्त होने वाले भुगतान आदि के सम्बंध में निर्णय वित्त विभाग ही करता है। इस बारे में किये गये निर्णय विवेकापूर्ण होने चाहिए जिससे सरकार को अपने वित्तीय निवेश पर उचित लाभ मिल सके।

8. अंकेक्षण एवं निरीक्षण :– पूरे प्रदेश में फैले स्थानीय (नगरीय) निकायों, विश्वविद्यालयों एवं राजस्थान आवासन मंडल आदि का वैधानिक अंकेक्षण करना वित्त विभाग का उत्तरादायित्व है। स्थानीय निधी अंकेक्षण विभाग जो वित्त विभाग के अधीन कार्य करता है। इस हेतु पूरे वर्ष कार्यरत रहता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रशासनिक विभागों की वित्तीय प्रक्रिया का निरीक्षण भी वित्त विभाग के निर्देशन में निरीक्षण निदेशालय करता है

चित्र संख्या 8.2
बजट प्रक्रिया के चरण

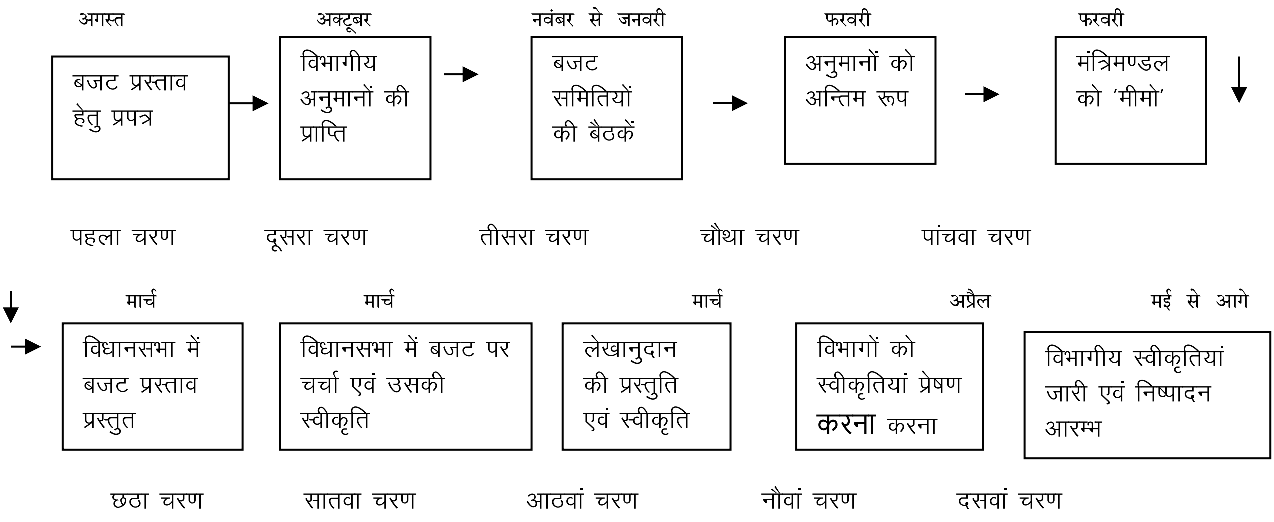

वित्त विभाग का यह भी दायित्व है कि वह विभाग सभा की जन लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति से से संबंधित कार्य का आवश्यक प्रबोधन (मॉनिटरिंग) करे। इन समितियों की सिफारिशें लागू करना तथा उनकी आपत्तियों का उत्तर एवं निराकरण वित्त विभाग के ही कार्य–क्षेत्र में आते हैं।

9. कोषालय–नियंत्रण :– राजस्थान के 38 कोषालय, 181 उप कोषालय तथा 10 पेंशन उप–कोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण वित्त विभाग द्वारा ही रखा जाता है। इस हेतु कोषालय एवं लेखा निदेशालय की भूमिका केन्द्रीय है। इस निदेशालय के अधिकारी कोषालयों एवं उप कोषालयों से निरन्तर सम्पर्क रखते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं तथा उनका निरीक्षण भी समय–समय पर करते हैं। वित्त विभाग का भी कोषालयों से "मार्गोपाय" (विज एंड मीन्स) के प्रबोधन हेतु निरन्तर सम्पर्क रहता है।

10. राजस्थान लेखा सेवा नियंत्रण :– राजस्थान में लगभग 500 सदस्यों वाली राजस्थान लेखा सेवा राज्य की तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण में से एक है। अन्य दो सेवाएँ राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान पुलिस है। उल्लेखनीय है राज्य स्तरीय सेवा लेखा सेवा का निर्माण भारत में सबसे पहले राजरणाम में हुआ था। आज इस सेवा के अधिकारी प्रत्येक सरकारी एवं अर्ध–सरकारी संस्था में वितीय परामर्श एवं नियंत्रण की भूमिका निभा रहे हैं। इस सेवा सदस्यों की नियुक्ति, स्थापन, पदोन्नति, सेवा की शर्तें अनुशासन आदि से संबंधित सभी मामले वित्त विभाग के क्षेत्राधिकार में ही आते हैं। विशिष्ट शासन सचिव (राजस्व) तथा प्रमुख वित्त सचिव के निर्देशन में इस सेवा का प्रबन्धन किया जाता है। राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा जिसमें लगभग साढ़े सात हजार सदस्य हैं, पर नियंत्रण कोषालय एवं लेखा निदेशालय द्वारा किया जाता है।

11. विविध कार्य :– वित्त विभाग उपरोक्त मुख्य कार्यों के अतिरिक्त कई अन्य विषयों से संबंधित कार्य सम्पन्न करता है, जैसे– पेंशनधारियों का कल्याण, लाटरी नियंत्रण अल्प बचत प्रशासन, राज्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में संशोधन, राज्य सरकार की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि पर नियंत्रण एवं केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त आयोग, विदेशी अभिकरण के राजकोष, महालेखापाल से समन्वय स्थापित करना आदि। यह सभी कार्य अपने आप में महत्त्वपूर्ण हैं जो राज्य की वित्तीय अवस्था एवं वित्तिय प्रशासनिक तंत्र को प्रभावित करते हैं।

संदर्भ सूची :–

1. अरोड़ा रमेश एवं चतुर्वेदी गीता, भारत में राज्य प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर– 2002 पृ. 108
2. उपरोक्त पृ. 111
3. राजस्थान पत्रिका, कोटा संस्करण, पृ. 8. दिनांक 17.10.99
4. माहेश्वरी अवस्थी
5. अवस्थी एवं अवस्थी
6. शर्मा एम.
7. फड़िया बी. एल.
8. कोटिल्य